

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—1006 / 2004

संस्थित दिनांक—11.12.2002

फाईलिंग क्र.234503000132002

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र—बिरसा

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

चतुरदास पिता मनराखन भासंत, उम्र—45 वर्ष, जाति पनिका

निवासी—ग्राम कोपरो, थाना सालेवाड़ा

जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—28/01/2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—39, 49, 51 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक—28.10.2002 को 02:40 बजे थाना बिरसा अंतर्गत दमोह ढाबे से ½ कि.मी. दूर जंगल में बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में वन्य प्राणी चीतल का तीन नग चमड़ा व हड्डी रखे पाया गया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि थाना बिरसा में पदस्थ उपनिरीक्षक अभिनव शुक्ला को दिनांक—28.10.2002 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सालेवाड़ा का निवासी आरोपी चतुरदास अपने पास चीतल का चमड़ा लेकर बेचने के लिए दमोह से होकर मंडई तरफ जाने वाला है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टॉफ के साथ रवाना हुआ और दमोह ढाबे से ½ कि.मी. पूर्व नाकाबंदी की, जहां मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति हाथ में बड़ा प्लास्टिक का थैला लेकर आता हुआ दिखा, जिससे नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम चतुरदास बताया। उक्त व्यक्ति के पास के थैले को खोलकर देखने पर उसमें एक खाद का कट्टा, तीन नग चीतल के चमड़े, जिसमें एक चमड़ा फटी हालत में था तथा तीन टुकड़े चीतल के सींग एवं एक हड्डी तेंदुए की मिले थे। आरोपी से उक्त सामान जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर देहाती नालसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना

वापस आकर असल नंबर पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-82/2002, धारा-9, 49 बी, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये तथा वन्य जीव संस्थान देहरादून को जप्तशुदा संपत्ति का परीक्षण हेतु भेजा गया। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-39, 49, 51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.स के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त कथन में अपराध अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त कर प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-28.10.2002 को 02:40 बजे थाना बिरसा अंतर्गत दमोह ढाबे से ½ कि.मी. दूर जंगल में बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में वन्य प्राणी चीतल का तीन नग चमड़ा व हड्डी रखे पाया गया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— अनुसंधानकर्ता अधिकारी अभिनव शुक्ला (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-28.10.2002 को थाना बिरसा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आराक्षक धनपाल बिसेन और रमेश जैतवार ने थाने पर आकर उसे सूचना से अवगत कराया था कि साल्हेवाड़ा का रहने वाला चतुरदास नामक व्यक्ति अपने पास चीतल का चमड़ा लेकर बेचने के लिए दमोह ढाबे के पास आया और वहां से मण्डई गांव जाएगा। उक्त सूचना पर हमराह आरक्षक क्रमांक-122 धनपाल, क्रमांक-312 रमेश जैतवार, क्रमांक-604 छाया किशोर एवं पंच बरसुसिंह व नवलसिंह को लेकर नाकाबंदी के लिए रवाना हुआ और दमोह ढाबे के पास पहुंचकर रोड से करीब आधा किलोमीटर अंदर नाकाबंदी की और थोड़े इंतजार के बाद एक व्यक्ति हाथ में थैला लेकर आता दिखा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका एवं उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चतुरदास होना बताया। मुखबिर सूचना की तस्दीक होने पर आरोपी की मौके पर तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे में रखे थैले के

अंदर एक खाद का कट्टा मिला, जिसे खोलकर देखने पर चीतल के तीन चमड़े जिसमें एक चमड़ा फटी हालत में था और तीन टुकड़े चीतल के सींग व कुछ हड्डी मिली जिन्हें आरोपी ने तेंदुआ की होना बताया था। आरोपी चतुरदास से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 अनुसार एक प्लास्टिक का धारीदार थैला, जिसमें बड़े खाद के कट्टे में तीन नग चीतल का चमड़ा जिसमें एक चमड़ा थोड़ा फटा हुआ व हड्डी तेन्दुआ की जैसा आरोपी चतुरदास ने बताया व तीन टुकड़े चीतल के सींग जो आगे से कटे हुए, साक्षी नवलसिंह और बरसुसिंह के समक्ष जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आरोपी को मौके पर उक्त साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके तथा आरोपी चतुरदास के हस्ताक्षर लिया था। थाना वापस आकर आरोपी चतुरदास के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-82/02, धारा-9, 49बी, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा घटनास्थल का नजरीनकशा प्रदर्श पी-7 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना के दौरान साक्षी नवलसिंह एवं बरसुसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था तथा जप्तशुदा चमड़ा परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-8 के प्रतिवेदन के माध्यम से पशु चिकित्सा अधिकारी खण्ड बिरसा को भेजा था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात् पुलिस अधीक्षक बालाघाट के कार्यालय के माध्यम से जप्तशुदा सामग्री को भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून प्रदर्श पी-5 के माध्यम से भेजा गया था, जिस पर तात्कालिक पुलिस अधीक्षक जयदीप प्रसाद के हस्ताक्षर हैं, जिनसे वह उनके अधिनस्थ कार्य करने के कारण परिचित हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है, जो चालान के साथ संलग्न है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिन दो साक्षियों के कथन लेख किया है, वे उसके अधिनस्थ कर्मचारी थे।

7— साक्षी बरसुसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-28.10.2002 को बिरसा थाना में सैनिक के पद पर पदस्थ था। जब वह अपने कार्य से सालेटेकरी गया था, तो बिरसा पुलिस ने आरोपी चतुरदास को पकड़े थे। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी चतुरदास को नहीं देखा था, मात्र हस्ताक्षर किया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि

वह घटना दिनांक को थानेदार के साथ हमराह गया था और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा था और उसके कब्जे से तीन नग चीतल का चमड़ा, सींग व तेंदुआ की हड्डी जप्त की गई थी। साक्षी ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना के समय व बिरसा थाने में सैनिक के पद पर पदस्थ होने से थाना प्रभारी के कहने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर कर दिया था। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में स्वयं विभागीय साक्षी होते हुए भी जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

8— साक्षी रमेश जैतवार (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-28.10.2002 को टायगर सेल में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त कार्य के लिए वह पूरे जिले में सूचना करता था। उक्त दिनांक को उसे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी चतुरदास चीतल का चमड़ा बिक्री हेतु मंडई तरफ जाने वाला था। उक्त सूचना उसने आरोपी के विरुद्ध थाना प्रभारी बिरसा को फोन पर दी थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी का हुलिया किस रंग का था, उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मुखबिर ने कहां से सूचना दिया था, उसे नहीं मालूम। साक्षी ने अपने कथन में मात्र मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी को सूचित किये जाने का समर्थन किया है, किन्तु उसकी साक्ष्य में आरोपी की पहचान न किये जाने और मुखबिर की सूचना कहां से प्राप्त हुई, इस बारे में खुलासा किया है। इस साक्षी का कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

9— नवलसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व की है। वह दिनांक-28.10.02 को बिरसा में नगर सैनिक का कार्य करता था। उसके सामने आरोपी चतुरदास से पुलिस ने कोई जप्ती नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय वह थानेदार के साथ हमराह गया था और आरोपी को पकड़ने पर उसके पास से तीन चीतल का चमड़ा, तेंदुआ की हड्डी व चीतल का सींग मिला

था। साक्षी ने उसके सामने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार उक्त सामान जप्त किये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने नगर सैनिक होते हुए भी जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10— रमेश मेश्राम (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-20.11.2002 को थाना बिरसा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उस दिन उसने थाना बिरसा से जंगली जानवर चीतल के चमड़े, सींग एवं तेंदुए की हड्डी को परीक्षण हेतु भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून लेकर गया था, जो प्रदर्श पी-5 है। इसके अलावा उसने इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण की सामग्री के अलावा अन्य प्रकरणों की भी सामग्री वह साथ ले गया था।

11— अभियोजन ने कथित जप्तशुदा संपत्ति की शिनाख्ती किसी भी वन अधिकारी या चिकित्सक से नहीं कराया है। पुलिस अधिकारी वन्य प्राणी के अवयव की पहचान या शिनाख्ती के संबंध में विशेषज्ञ साक्षी नहीं होता है। प्रकरण में प्रस्तुत भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 में यह लेख है कि नमूना के रूप में भेजे गए चमड़ा, जबड़ा व हड्डी का परीक्षण करने पर वन्य जीव चीतल का चमड़ा, लकड़बग्घा का जबड़ा व हड्डी के रूप में पाया गया है, जबकि मामलों में चीतल के चमड़े, सींग एवं तेंदुए की हड्डी को परीक्षण हेतु भेजा गया है। इस प्रकार चीतल के सींग व तेंदुए की हड्डी के स्थान पर वन्य प्राणी लकड़बग्घा के जबड़ा व हड्डी के रूप में प्राप्त रिपोर्ट से भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता कि कथित जप्तशुदा सींग चीतल के व हड्डी तेंदुए की ही थी।

12— प्रकरण में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही के समय का रोजनामचा सान्हा पेश कर उसे प्रमाणित नहीं कराया गया है। इसके अलावा जप्ती अधिकारी ने जिन हमराह साक्षीगण को मौके पर ले जाने और जप्ती कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया है। उक्त हमराह साक्षीगण ने विभागीय साक्षी होते हुए भी उनके वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। जप्ती कार्यवाही के साक्षीगण के कथन से यह प्रकट होता है कि वह मौके पर मौजूद नहीं थे और न ही आरोपी से उनके सामने कोई सामग्री जप्त हुई है। इसके अलावा आरोपी की पहचान

भी किसी भी साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने न्यायालयीन कथन में नहीं की गई है। इस प्रकार आरोपी से कथित वन्य प्राणी चीतल चमड़े, चीतल के सींग व तेंदुआ की हड्डी की जप्ती विधिवत् प्रमाणित न होने से वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-57 के अंतर्गत यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि कथित जप्तशुदा संपत्ति आरोपी के अवैधानिक कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रही है। अभियोजन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि कथित जप्तशुदा सामग्री चीतल के सींग व तेंदुआ की हड्डी थे। उक्त के अभाव में आरोपी के विरुद्ध अभियोजन का मामला पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने दिनांक-28.10.2002 को 02:40 बजे थाना बिरसा अंतर्गत दमोह ढाबे से ½ कि.मी. दूर जंगल में बिना अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में वन्य प्राणी चीतल का तीन नग चमड़ा व हड्डी रखे पाया गया। अतएव आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-39, 49, 51 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

14— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

15— प्रकरण में आरोपी दिनांक-29.10.2002 से दिनांक-25.11.2002 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में धारा-428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट